

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

आदेश संख्या 03 /2024,

दिनांक: 29.04.2024

जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की माह मई, 2024 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में अभियुक्त की रिमाण्ड के सन्दर्भ में निम्नवत रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था की जाती है-

(क्षेत्र)

कोतवाली चमोली, तहसील चमोली से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र, थाना नन्दानगर-घाट, तहसील नन्दानगर-घाट से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र, तहसील नन्दप्रयाग, थाना गोपेश्वर, थाना पोखरी, तहसील पोखरी से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र व तहसील जिलासू से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र।

माह	रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट
मई, 2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

(क्षेत्र)

कोतवाली जोशीमठ, थाना गोविन्द घाट, कोतवाली बद्रीनाथ एवं तहसील जोशीमठ से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र।

माह	रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट
माह मई, 2024	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ।

(क्षेत्र)

थाना थराली, तहसील थराली से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र, तहसील नारायणबगड़ से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र, तहसील देवाल से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र।

माह	रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट
मई, 2024	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, थराली।

(क्षेत्र)

कोतवाली कर्णप्रयाग, तहसील कर्णप्रयाग से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र, थाना गैरसैण, तहसील गैरसैण से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र व तहसील आदिन्नदी से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र।

माह	रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट
मई, 2024	सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।

2- यह आदेश दिनांक 01.05.2024 से लागू होगा।

(सचिन कुमार)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
चमोली।